संख्या– /IV-3/2015–04(49)/2015

प्रेषक,

डी०एस० गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–3

देहरादूनः दिनांकः 04 जून, 2015

विषय–निरंजनी अखाड़ा के पास 02 नग 990 केवीए सी0एस0एस0 के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मेलाधिकारी, हरिद्वार के पत्र संख्या–308/ अ0कु0मे0/ विद्युत वि0/02 नग 990 केवीए, दिनांक 13.05.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि अर्द्ध कुम्भ मेला–2016 के अन्तर्गत निरंजनी अखाड़ा के पास 02 नगर 990 केवीए सी0एस0एस0 के निर्माण के संबंध में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये रू0 77.91 लाख के आगणन के सापेक्ष उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार कार्य किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये समस्त धनराशि रू0 77.91 लाख भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किए जाने की भी सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

(i) भारत सरकार से प्राप्त धनराशि की प्रथम किश्त से ही उक्त स्वीकृत धनराशि का समायोजन करेंगे।

(ii) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

(iii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(iv) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि की स्वीकृति गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(v) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

(vi) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(vii) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(viii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

(ix) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व करा लिया गया है। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय व कार्य निश्चित समयावधि में पूर्ण किया जाय।

(x) निर्माण कार्य का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा तथा कार्य की थर्ड पार्टी क्वालिटी चैकिंग कराई जाएगी।

(xi) आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगी।

(xii) अस्वीकृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाएगी। साथ ही यह परिवर्तन स्वीकृत धनराशि की सीमान्तर्गत ही किया जाएगा।

(xiii) प्रश्नगत कार्य का गहन निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण मेलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा किया जाएगा।

(xiv) जिलाधिकारी, हरिद्वार के प्रतिहस्ताक्षर से उक्त धनराशि कोषागार से आहरित की जायेगी।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, वित्तीय हस्त पुस्तिका व बजट मैनुअल के अनुसार किया जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 की अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4217– शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रपुरोनिधानित–0107–अर्द्ध कुम्भ मेला, 2016 की मानक मद संख्या–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान मद के नामे डाला जाएगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–249/XXVII(2)/15, दिनांक 04 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

5– एलॉटमैण्ट आई0डी0 संख्या–S1507130055 दिनांक 06 जुलाई, 2015 के द्वारा उक्त धनराशि ऑनलाइन रूप से अवमुक्त की गई है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या– 936 /IV-3/2015–04(49)/2015, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी0–1/105, इन्दरा नगर, देहरादून।
3. सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य अभियन्ता/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन देहरादून।
5. मेलाधिकारी, हरिद्वार।
6. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन, हरिद्वार।
8. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन हरिद्वार।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
10. वित्त अनुभाग–2
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20152016

Secretary, Urban Development (S054)

आवंटन पत्र संख्या - 936/15-04(49)2015

अनुदान संख्या - 013

अलोटमेंट आई डी - S1507130055

आवंटन पत्र दिनांक -06-Jul-2015

HOD Name - Secretary, Urban Development (Grants) (9005)

: लेखा शीर्षक 4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

800 - अन्य व्यय

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र पुरोनिधानित

07 - अर्धकुम्भ मेला, 2016

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
35 - पुँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन	23561000	7791000	31352000
	23561000	**7791000**	**31352000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 7791000